


6/6
24

पत्रावली पेश हुई, वकील पार्शिया आदित्य, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शां पठ दिये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही दिये जाने का निर्देश दिया जाता है वकील पार्शिया का प्र-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्वप प्रपत्र से लिखा जाकर शां पठ किया गया। पत्रावली फंसल शुभर हो सन्मकर लेकर है


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

